**प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023**

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 65/2023 (2023/ )

1. जयकिशन पुत्र नन्दा जाट
2. महावीर पुत्र नन्दा जाट
3. रुघनाथ पुत्र नन्दा जाट

समस्त जाति निवासीगण कोहडा, तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

---अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट**

उपस्थितः–
श्री भूपेन्द्र सिंह :– अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

**आदेश**

दिनांक 05.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कोहडा में पेश हुई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| खाता संख्या नया–पुराना | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 330–300 | 1885/749 | 2.48 | बारानी 1 |
| | **कुल किता 1** | **कुल रकबा 2.48 हैक्टर** | |

प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व में चली आ रही है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार नही है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात के पडौस में अन्य पडौसीगण है जो जबरन खेत की मेड को हाथ से तोड देते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है एवं आये दिन सीमा विवाद करते हैं जिससे प्रार्थीगण व अन्य पडौसीगण में सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा फसाद होने का अंदेशा सदैव बना रहता है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की मौके पर पक्षकार की उपस्थिति में स्थाई पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार दौराने केम्प मोके पर उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। जवाब सरकार में पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खातेदारी की आराजीयात है अतः राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 330–300 में दर्ज खसरा संख्या 1885/749 रकबा 2.48 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की ज़ावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोहडा में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)